सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरि सिंह लम्बोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 142/2010

1. बबूलाल पुत्र करन सिंह
2. छतर पुत्र करन सिंह.....(दौराने दावा मृत)
(2/1) प्रेमसिंह | पुत्रगण
(2/2) पूरन सिंह | स्व. छतर सिंह
(2/3) जसवंत

जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तह0 सैंपऊ

(2/4) शीला पुत्री स्व. छतर सिंह पत्नी अनारसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम खानपुर तह0 खेरागढ़ जिला आगरा (उतर प्रदेश)
(2/5.) भूरी पुत्री स्व. छतर सिंह पत्नी रामवीर जाति लोधा निवासी ग्राम भवनपुरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

3. ओमवती पत्नी स्व. मोहन सिंह
4. भूरो पुत्र ठकुरी ..... (दौराने दावा मृत)
(4/1). लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरो
5. गुमान सिंह | पुत्रगण धनपाल
6. बाबूलाल

जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तह0 सैंपऊ तहसील जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1. मेघसिंह पुत्र अंगद ..... (दौराने दावा मृत)
1/1 रमको उर्फ रमले पत्नी मेघसिंह
1/2 रामवीर | पुत्रगण स्व. मेघसिंह
1/3 सुंदर
1/4 टीकम
1/5 भानो पुत्री स्व. मोहन सिंह

जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तहसील सैपऊ

2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैंपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा अधीन धारा 88, 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति :—

1. श्री विनोद भार्गव अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह राना अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

::—निर्णय ::— 12.09.2019

वादीगण ने यह वाद इन कथनों के साथ पेश किया है कि ग्राम खरगपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर हाल 15 रकवा 5 बीघा 16 विस्वा गत 69 रकवा 7 बीघा, हाल 67 रकवा 2 बिस्वा गत 115 रकवा 2 विस्वा, हाल 68 रकवा 4 बीघा, 7 बिस्वा, गत 114 रकवा 5 बीघा 6 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

तथा हाल 83 रकवा 7 बीघा, 17 बिस्वा, गत 113 रकवा 9 बीघा 10 बिस्वा के खातेदार कृषक करन सिंह, मुरली, अंगद व मनोहर थे। अंगद ने अपना 1/4 भाग सम्वत 2006 में शिवनी काश्त पर भीमा पुत्र बल्देव को दे दिया था। तभी से भीमा अंगद के 1/4 हिस्से पर बतौर उपकृषक काबिज होकर काश्त करता रहा। राजस्थान काश्त अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय भी भीमा अंगद के उपकृषक के रूप में विवादित आराजी पर काबिज था। जिस कारण भीमा विवादित आराजीयात में 1/4 भाग का खातेदार कृषक हुआ। करन सिंह, मुरली, मनोहर तथा भीमा का देहांत हो चुका हैं। भीमा लाबल्द फौंत हुआ। भीमा के निकटतम उतराधिकारी करन सिंह हुए। मोहन सिंह का भी देहांत हो गया। उसकी वारिस उसकी पत्नी ओमवती हैं। मुरली के वारिस भूरो हुआ। मनोहर के वारिस उसका पुत्र धनपाल हुआ। धनपाल के वारिस गुमानसिंह व बाबूलाल हैं। इस प्रकार वर्तमान में विवादित आराजी में वादी 1 लगायत 3 कुल 1/4 भाग के, वादी कमांक (4/1) 1/4 भाग का तथा वादी कं. 5 व 6 शेष 1/4 भाग के खातेदार कृषक हैं। दावा दायरी से 15 दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजी में उसका भी 1/4 भाग हैं। अतः अब वह भी काश्त करेगा तथा फसल लेगा। इस पर वादीगण ने राजस्व अभिलेखों की नकल हासिल की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कूननन भीमा को खातेदारी देते समय उसे तो 1/4 भाग का खातेदार दर्ज कर दिया तथा शेष 3/4 भाग में करनसिंह, मुरली व मनोहर के साथ अंगत का नाम भी दर्ज कर दिया तथा बंदोबस्त विभाग ने भीमा का नाम लोपित कर पुनः करन सिंह बगैरा का नाम दर्ज कर दिया तथा अंगद के देहांतोपरांत प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने स्वतः घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इंन्कार किया तथा कथन किया कि अंगद ने कभी भी भीमा को विवादित आराजी शिकरी काश्त पर नही दी तथा न ही भीमा राजस्थान काश्त अधिनियम के प्रभाव में आने के समय विवादित आराजीयात का उपकृषक था जिस कारण उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही नही उठता। वादीगण भीमा के वारिस नही हैं। दावा बंसन मियाद प्रस्तुत किया हैं। यदि कोई इन्द्राज भीमा के नाम का राजस्व अभिलेंखों में हो रहा है तो वह गलत है। अतः दावा खारिज किया जावें।

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सवंत 2019–22 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्द्री संवत 2015–18 प्रदर्श–4 तथा नकल जमाबंदी सवंत 2065–68 प्रदर्श–5 पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य मे लक्ष्मीनारायण पी.डब्लूय–1 तथा पूली पी.डब्लूयू–2 के बयान कराये हैं। प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–1, नकल जमाबन्दी बंदोबस्त प्रदर्श–डी–2, नकल जमाबन्दी सवंत 2011–14 प्रदर्श–डी–3, नकल जमाबन्दी संवत 2057–60 प्रदर्श–डी–4, खसरा गिरदावरी सवंत 2057–60 प्रदर्श–डी–5, नकल खसरा गिरदावर सवंत 2010–12 प्रदर्श–डी–6 प्रस्तुत किये है तथा मौखिक साक्ष्य में टीकम सिंह डी–डब्लूयू–1, विद्याराम डी–डब्लूयू–2 तथा शीला डी–डब्लूयू–3 के बयान कराये हैं।

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

1. आया वादीगण 1 लगायत 3 विवादित आराजी में 1/2 भाग के, वादी कमांक 4–1/4 भाग का तथा वादी कमांक 5 व 6– 1/4 भाग के खातेदार कृषक है तथा राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी हैं।
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पांबद करा पाने के अधिकारी है कि वह वादीगण को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप नहीं करें।
3. आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बैसन मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।
4. अनुतोष

बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी बार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>तनकी नम्बर–1</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर हैं। वादीगण के कथनों के मुताबिक विवादित आराजीयात में से अंगद ने अपना 1/4 भाग संवत 2006 में भीमा को शिकवी काश्त पर दिया था। जिस कारण राजस्थान काश्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भीमा विवादित आराजी में अंगद के 1/4 भाग का खातेदार कृषक हुआ। प्रतिवादी ने इस से इन्कार कियसा है तथा कथन किया है कि अंगद ने कभी भी विवादित आराजी भीमा को शिकवी काश्त पर नही उठाई। पत्रावली में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसके अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजीयात पर भीमा का नाम संवत 2006 से उपकृषक के रूप में दर्ज हैं। इसके खंडन में प्रतिवादी की कोई साक्ष्य नही हैं। जब राजस्थान काश्त अधिनियम प्रभाव में आया उस समय भी भीमा 1/4 भाग का उपकृषक था जिस कारण वह विवादित आराजी में 1/4 भाग का खातेदार कृषक हुआ तथा इस आशय का इन्द्राज बंदोवस्त पूर्व की जमाबन्दी में अंकित हैं। उसके उपरांत बंदोवस्त विभाग ने जो खतौनी बंदोवस्त जारी की उसमें से भीमा का नाम लोपित कर दिया गया, जिसका बंदोवस्त विभाग को अधिकार नही था। अब प्रश्न यह उठता है कि बंदोबस्त पूर्व की जमाबंदी में अंगद का नाम 3/4 भाग पर, करनसिंह, मुरली, व मनोहर के साथ शामिल किया गया। उसकी क्या कानूनी स्थिति हैं। इस संबंध में उभय पक्षों की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करना भी जरूरी हैं। जहां तक वादीगण की मौखिक साक्ष्य में अपने अभिवचनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है वही प्रतिवादी की साक्ष्य ही प्रापक हैं। डी–डब्लूयू–1 अपने सशपथ बयानों में वादीगण ने जो कथन पूर्व खातेदारों तथा उनकी विरासत बाबत् किये है उनको पुष्ट किया हैं। वह यह भी कहता है कि झगड़ा तब हुआ जब वादीगण विवादित आराजीयात को जोत रहे थे, अर्थात वह वादीगण के कब्जे को सिद्ध करता हैं। शेष जो 2 गवाहान है वह वस्तुतः विवादित आराजीयात से अनभिज्ञ हैं। दोनों ही गवाह विवादित आराजी को ग्राम भदियाना में स्थित होना कहते हैं जबकि वस्तुतः विवादित आराजी ग्राम खरगपुर में स्थित है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से हम यह पाते है कि वस्तुतः अंगद ने विवादित आराजीयात में से अपना 1/4 भाग भीमा को शिकमी काश्त पर संवत 2006 में दिया था जो कालांतर में विरासतन प्रगंट हुआ। इस प्रकार यह तनकी बहक वादीगण तय की जाती हैं।

<u>तनकी नम्बर–2</u> इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 के विवेचन से यह सिद्ध है कि वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार कृषक है। अतः वह

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

वतः ही स्थाई निषेधाज्ञा व अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण तय की जाती हैं।

तनकी नम्बर–3 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रस्तुत वाद मूल रूप से धारा 88 आरटी एक्ट के तहत है जिसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नही हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती हैं।

अनुतोष उपरोक्त विवेचन से हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी स्थित ग्राम खरगपुर के खसरा नम्बर हाल 15 रकवा 5 बीघा 16 बिस्वा, 67 रकवा 2 बिस्वा, 68 रकवा 4 बीघा 7 विस्बा तथा 82 रकवा 7 बीघा 17 विस्वा में वादी क्रमांक 1 को 1/6 भाग, वादी क्रमांक 2/1 लगायत 2/5 को 1/6 भाग तथा वादी क्रमांक 3 को 1/6 भाग का, वादी क्रमांक 4 को 1/4 भाग का तथा वादी क्रमांक 5 व 6 को 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात पर वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्ताक्षेप नही करें। राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर हास्व जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व मौहर अदालत से जारी किया गया।

(हरीसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अेज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरिसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या :– 142/2010

1. बबूलाल पुत्र करन सिंह
2. छतर पुत्र करन सिंह.....(दौराने दावा मृत) | जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तह0 सैंपऊ

(2/1) प्रेमसिंह
(2/2) पूरन सिंह | पुत्रगण स्व. छतर सिंह
(2/3) जसवंत

(2/4) शीला पुत्री स्व. छतर सिंह पत्नी अनारसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम खानपुर तह0 खेरागढ़ जिला आगरा (उतर प्रदेश)

(2/5.) भूरी पुत्री स्व. छतर सिंह पत्नी रामवीर जाति लोधा निवासी ग्राम भवनपुरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

3. ओमवती पत्नी स्व. मोहन सिंह
4. भूरो पुत्र ठकुरी ..... (दौराने दावा मृत) | जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तह0 सैंपऊ तहसील जिला धौलपुर

(4/1). लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरो

5. गुमान सिंह | पुत्रगण धनपाल
6. बाबूलाल

.....वादीगण

बनाम

1. मेघसिंह पुत्र अंगद ..... (दौराने दावा मृत)

1/1 रमको उर्फ रमले पत्नी मेघसिंह

1/2 रामवीर
1/3 सुंदर
1/4 टीकम | पुत्रगण स्व. मेघसिंह | जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम हवेली का नगला तहसील सैपऊ

1/5 भानो पुत्री स्व. मोहन सिंह

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैंपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा अधीन धारा 88, 188 आरटी एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट मिनजानिव मुद्दायलह श्री राजेन्द्रसिह राना एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ड्रिकी किया जाकर विवादित आराजी स्थित ग्राम खरगपुर के खसरा नम्बर हाल 15 रकवा 5 बीघा 16 बिस्वा, 67 रकवा 2 बिस्वा, 68 रकवा 4 बीघ 7 विस्बा तथा 82 रकवा 7 बीघा 17 विस्वा में वादी कमांक 1 को 1/6 भाग, वादी कमांक 2/1 लगायत 2/5 को 1/6 भाग तथा वादी कमांक 3 को 1/6 भाग का, वादी कमांक 4 को 1/4 भाग का तथा वादी कमांक 5 व 6 को 1/4 भाग

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा आबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजीयात पर वादीगण के कब्जा काश्त में कोई हस्ताक्षेप नही करें। राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार दुरूस्ती की जावें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2019 को जारी की गई।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
रोपाऊ